



भारत निर्वाचन आयोग

प्ररूप-8क

अभिस्वीकृति सं.

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 का (नियम 13(4) और 26 देखिए)

निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के लिए आवेदन (एक निर्वाचन क्षेत्र में निवास स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के मामले में)

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर.....सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र

पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए नवीनतम फोटो (3.5 सें.मी. X 3.5 सें.मी.) चिपकाने के लिए स्थान

मैं निवेदन करता हूँ कि उपरोक्त निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में आने वाली मुझसे संबंधित प्रविष्टि, इस निर्वाचन-क्षेत्र की नामावली के सुसंगत भाग में अन्यत्र रख दी जानी चाहिए क्योंकि मैंने अपना मामूली निवास स्थान उसी निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित कर लिया है -

आवेदनकर्ता की विशिष्टियां

(क) नाम

(ख) उपनाम (यदि कोई है)

(ग) भाग सं.

(घ) क्रम सं.

(ड.) ईपीआईसी सं. (यदि जारी किया गया हो):

(च) ई-मेल: (वैकल्पिक)

(छ) मोबाइल नं. (वैकल्पिक)

(ज) वर्तमान मामूली निवास जहां स्थानांतरण किया है

मकान सं०

गली/क्षेत्र/स्थान

शहर/ग्राम

डाकघर

पिन कोड

जिला

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

घोषणा - मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य और विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं। मुझे ज्ञात है कि ऐसा कथन या घोषणा जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या सत्य होने का मुझे विश्वास नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय है

स्थान.....

तारीख.....

आवेदक के हस्ताक्षर.....

सत्यापन करने वाले क्षेत्र स्तरीय अधिकारी की टिप्पणियां:

की गई कार्यवाई के ब्यौरे

(निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाएगा)

श्री/श्रीमती/कुमारी के निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों को अन्यत्र रखने के संबंध में उनका/श्री/श्रीमती/कुमारी के प्ररूप 8क में आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार कर दिया गया है

स्वीकार किए जाने या अस्वीकार किए जाने के [नियम 26(4) के अधीन या अनुसरण में] विस्तृत कारण नीचे दिए गए हैं :

स्थान:

तारीख:

ईआरओ के हस्ताक्षर

ईआरओ की मुहर

लिए गए निर्णय की संसूचना (निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाएगा और आवेदनकर्ता के द्वारा दिए गए पते पर डाक द्वारा प्रेषित किया जाएगा)

श्री/श्रीमती/कुमारीका प्ररूप 8क में आवेदन

डाक स्टॉप
निर्वाचक
रजिस्ट्रीकरण
प्राधिकारी द्वारा
प्रेषण के समय

वर्तमान पता जहां आवेदक सामान्यतया निवास करता है

मकान सं.

गली/क्षेत्र/मोहल्ला

नगर/ग्राम

डाकघर

पिनकोड

जिला

राज्य/संघ

राज्यक्षेत्र

(क) स्वीकार कर लिया गया है और श्री/श्रीमती/कुमारी-----के नाम को भाग संख्या -----से हटा दिया गया है और सभा निर्वाचन क्षेत्र-----के -----भाग सं. -----के क्रम संख्या-----पर रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है

(ख) -----कारण से अस्वीकृत कर लिया गया है

तारीख:

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

पता

आवेदन की अभिस्वीकृति/रसीद

अभिस्वीकृति सं.

तारीख.....

श्री/श्रीमती/कुमारी.....का प्ररूप 8क में आवेदन प्राप्त हुआ है (आवेदक आवेदन की स्थिति की अभिस्वीकृति संख्या को निर्दिष्ट करते हुए जांच कर सकता है)

स्थान.....

तारीख.....

ईआरओ/ईआरओ/ईईआरओ/बीएलओ का नाम/हस्ताक्षर

दावाकर्ता के हस्ताक्षर

आवेदन प्ररूप-8क भरने के लिए दिशा-निर्देश

प्ररूप-8क कैसे भरा जाना चाहिए

1. आवेदन उस निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए जिसमें संगत प्रविष्टि का स्थान-विनिमय अपेक्षित है। निर्वाचन क्षेत्र के नाम का रिक्त स्थान में उल्लेख किया जाना चाहिए।
2. आवेदन के मद (क) और (ख) में आवेदक को, निर्वाचक नामावली में यथा-विद्यमान, अपना नाम लिखना चाहिए। यदि निर्वाचक नामावली में मुद्रित आवेदक के नाम के आद्यक्षर संक्षिप्त रूप में हैं और वे उसे विस्तृत रूप में मुद्रित कराना चाहते हैं तो वे अपना पूरा नाम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। पहले खाने में उपनाम को छोड़कर शेष पूरा नाम लिखा जाना चाहिये तथा उपनाम दूसरे खाने में लिखा जाना चाहिये। यदि आवेदक का कोई उपनाम नहीं है तो केवल दिया गया नाम ही अंकित करें। जाति का उल्लेख सिर्फ वहीं किया जाना है, जहां जाति का नाम निर्वाचक के नाम के भाग के रूप में अथवा उपनाम के रूप में प्रयुक्त है अन्यथा नहीं। सम्मानसूचक पदवियां जैसे, श्री, श्रीमती, कुमारी, खान, बेगम, पंडित इत्यादि उल्लिखित नहीं की जानी चाहिए।
3. आवेदन का मद (ग) और (घ): निर्वाचक नामावली के जिस भाग में पहले से ही पंजीकृत हैं उसका नाम, भाग संख्या और क्रम संख्या और निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड (एपिक) सं. पूर्ण रूप में भरें (जैसा कि निर्वाचक नामावली में मुद्रित है)।
4. आवेदन के भाग (छ) में कृपया उस नये स्थान का पूरा पता लिखें जहाँ आवेदक/संबंधित व्यक्ति ने निर्वाचन-क्षेत्र के अन्दर सामान्य निवास का अपना स्थान स्थानांतरित कर लिया है। कृपया अपूर्ण पता न लिखें क्योंकि ऐसा होने पर सम्भव है कि पते को निर्वाचक नामावली के उस संगत भाग से संयोजित करना सम्भव न हो जिसमें प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जानी अपेक्षित हो।
5. सूचना अंशों पर पूरा नाम एवं पता दिया जाना चाहिए। आवेदक प्ररूप में अपना मोबाइल नम्बर ओर ईमेल आई डी दें, जो ऐच्छिक है, क्योंकि यदि ये दिए जाते हैं तो इनका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जरूरत पड़ने पर आवेदक के साथ आगे पत्रव्यवहार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्रतिस्थापन एपिक

यदि आवेदक नए पते के साथ प्रतिस्थापन एपिक चाहते हैं तो उसे प्ररूप 8क के आधार पर नए स्थान पर पंजीयन होने के बाद प्ररूप एपिक-001 में आवेदन (अनुबंध-1 के रूप में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार) प्रतिस्थापन एपिक के लिए अपेक्षित शुल्क, और पुराने एपिक के साथ आवेदन करना चाहिए।

अनुबंध I (प्ररूप-8 के लिए)

भारत निर्वाचन आयोग (अनुबंध I) प्रतिस्थापन निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड (एपिक) जारी करने के लिए आवेदन		प्ररूप आई.डी. ईसीआई-एपिक-001	
क	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र :		
	वि.स. निर्वाचन-क्षेत्र* (सं. & नाम):		
	जिला:		
ख	निर्वाचक का विवरण (निर्वाचक द्वारा भरे जाने के लिए)		
सेवा में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विधान सभा/ संसदीय* निर्वाचन- क्षेत्र		महोदय/महोदया, मैं अनुरोध करता/करती हूँ कि मुझे एक डुप्लीकेट निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड जारी किया जाए क्योंकि मेरे निर्वाचक विवरण में दोष-सुधार किए जाने के कारण मेरा मूल कार्ड गुम/नष्ट/विकृत हो गया है या पते में परिवर्तन होने के कारण मैं अपने नए पते के साथ एक नया कार्ड प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ। मैं डुप्लीकेट एपिक जारी करने के शुल्क के साथ आपको अपना एपिक वापस कर रहा/रही हूँ। मेरा नाम उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल है। डुप्लीकेट एपिक जारी करने के मेरे दावे के समर्थन में विवरण नीचे दिए गए हैं:	
1. निर्वाचक का नाम:		2. मूल कार्ड की एपिक सं. (यदि ज्ञात हो) :	
3. पिता/माता/पति* का नाम :		4. लिंग (पु./म.):	5. जन्म तिथि, यदि ज्ञात नहीं हो तो आयु वर्षों में, 1 जनवरी, 200___ को.....
6. पता			
(i) गृह/द्वार संख्या :			
(ii) गली/मोहल्ला/सड़क/गली :			
(iii) क्षेत्र/मोहल्ला :			
(iv) शहर/ग्राम :		(v) पिन कोड	
(vi) पुलिस स्टेशन :		(vii) जिला:	
(viii) डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन करने के कारण :			
1. मैं एपिक वीआरसी/सीएससी से संगृहीत करूंगा/करूंगी। 2. मैं अपना एपिक डाक द्वारा प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ (स्व-पता-लिखित एवं डाक-टिकट लगे लिफाफे संलग्न हैं)। 3. मैं एपिक बीएलओ से संगृहीत करूंगा/करूंगी।			
() आवेदक के हस्ताक्षर			
(ix) उपर्युक्त बॉक्स पर सही का निशान लगाएं (✓) :		दिनांक:	
☐ मैं एतद्वारा अपना विकृत/पुराना कार्ड वापस करता/करती हूँ। ☐ मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि मुझे जारी पूर्ववर्ती कार्ड बाद की तारीख में प्राप्त होता है तो मैं उसे वापस कर दूंगा/दूंगी।		स्थान:	
<i>आधिकारिक इस्तेमाल के लिए</i>			
ग	एपिक जारी करने के लिए प्रमाणीकरण (ईआरओ के प्रतिनिधि द्वारा भरे जाने के लिए)		
भाग सं. :	भाग में निर्वाचक की क्रम सं. :	नामोददिष्ट फोटोग्राफी लोकेशन (डीपीएल) या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएसई) की आईडी संख्या:	# टोकन नं. या रसीद सं.
पंजी सं.	पंजी में क्रम सं.		
सत्यापनकर्ता :	हस्ताक्षर		
दिनांक: __/__/200__			
घ	निर्वाचक द्वारा आर-एपिक की अभिस्वीकृति		
(तारीख): को डुप्लीकेट एपिक प्राप्त किया		निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान	
	-	-	200__